MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduced a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री राम लाल राही : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

ABOLITION OF BEGGING BILL*

SHRI B. V. DESAI (Raichur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish begging in the country and to provide for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to abolish begging in the country and to provide for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI B. V. DESAI : Sir, I introduce the Bill.

15.33 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES BILL

by Shri Suraj Bhan—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up further consideration of the following motion moved by Shri Suraj Bhan on 23rd March, 1984, namely :

"That the Bill to provide for adequate representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts and services under the Government of India, be taken into consideration."

Shri Suraj Bhan to continue his speech.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह मजमून ऐसा है जिस पर मुझे बोलना पड़ रहा है । 1950 में विधान लागू हुआ । उससे पहली भी रिजर्वेशन थी लेकिन ख्याल यह था कि 1950 के बाद तो शायद यह इम्पलीमेंट हो जायगी । लेकिन इम्पलीमेंटेशन हुआ नहीं । आज मुझे मजबूरन अपनी बात शुरू करने से पहले साहिर लुधियानवी का एक शेर कहना पड़ रहा है :

दुनिया ने तजरबा तो
हवादस की शकल में
जो कुछ मुझे दिया है
वह लौटा रहा हूं ।

इस बिल की जरूरत क्यों हुई ? 1950 में विधान लागू हो गया लेकिन आर्टिकल 335 पर अमल नहीं हुआ और न अमल होने की वजूह क्या थी ? अमल हुआ तो जरूर लेकिन न होने के बराबर हुआ और उस पर अमल न होने का कारण एक ही है कि आज तक इस आर्टिकल को इम्पीमेंट करने के लिए कोई कानून नहीं बना । यह आर्टिकल 335 विधान में रखा है और केवल इसी आर्टिकल की बात नहीं है, सरकार ने तो हरिजन आदिवासियों के साथ शुरू से थोड़ा मजाक किया है। आर्टिकल 17 बना, एवालीशन आफ अनटचेबिलिटि एक्क

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 6.4.1984.